संख्या-175/2016/5002/26-3-2016-10(25)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 28 सितम्बर 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बक्शी का तालाब जनपद-लखनऊ में सेफ्टीटैंक के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-362-63/स0क0/ विकास/2016-17, दिनांक 20.09.2016, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बक्शी का तालाब जनपद-लखनऊ में सेफ्टीटैंक के निर्माण हेतु धनराशि रूपया-03,54,000/-(रू0-तीन लाख चौव्वन हजार मात्र) पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) कराने के उपरान्त ही आहरित कर प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(4) उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(6) उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-3-2016 में निहित निर्देशो/प्रतिबन्धों का अनुपलन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22-3-2016 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

संख्या-175/2016/5002(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
7- अधिशासी अभियंता, यू0पी0 सिडको, जनपद-लखनऊ।
8- निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ ।
10-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।